प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
कानपुर नगर।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, कानपुर नगर।

पत्रांक :– मु0चि0अ0/त0नि0प्र0/2021–22/ दिनांक : 21.06.2021

विषयः–सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और वाणिज्य कर उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमय) अधिनियम–2003 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत तम्बाकू उत्पाद के विक्रय उत्पाद के विक्रय हेतु जनपद के समस्त नगर निगम क्षेत्रों में वेन्डर लाईसेन्स की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ की पत्रांक–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/8927 दिनांक 14.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके माध्यम से डा0 रजनीश दुबे,अपर मुख्य सचिव,नगर विकास अनुभाग–9 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–1080/नौ–9–21–121ज/20,दिनांक 08 जून,2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें,(पत्र एवं ड्रॉफ्ट दिशा–निर्देश की छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या –2 सन्–1950) की धारा–437,धारा–438 की उपधारा(1) के खण्ड –(घ),धारा–452 और धारा–541 के खण्ड(20),(41) और (49) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और वाणिज्य कर उत्पादन,प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम–2003 (सी0ओ0टी0पी0ए0–2003) के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जनपदों को नगर निगम के सभी क्षेत्रों मे **Vendor Licensing** की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप कानपुर नगर के समस्त नगर निगम/स्थानीय निकायों से समन्वय स्थापित करते हुये जनपद–कानपुर नगर के समस्त नगर निगम क्षेत्रों में **Vendor Licensing** की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि

भवदीय,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
कानपुर नगर।

पत्रांक :– मु0चि0अ0/त0नि0प्र0/2021–22/14606-7
तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा अनुभाग–7,उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, नगर विकास अनुभाग–9,उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उ0प्र0 शासन।
4. राज्य नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, उ0प्र0 स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
6. जिला नोडल अधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ,कानपुर नगर।
7. अधिशासी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0,लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आप जनपद कानपुर नगर में लाइसेंसिंग प्रणाली लागू किये जाने के लिये तकनीकी सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

मुख्य चिकित्साधिकारी,
कानपुर नगर।